

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उत्तर प्रदेश

1066
28/12/24

संख्या: सी-57/ई-1,

लखनऊ: दिनांक 22 फरवरी, 2024

कार्यालय-झाप

शासनादेश संख्या-84/22015/4572/सत्ताईस-1-2015-1/14, दिनांक: 22.12.2015 एवं शासनादेश संख्या-3636/सत्ताईस-1-2017-01/14, दिनांक: 24.11.2017 में निहित प्राविधानों एवं कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओं को अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सम्मुख कालम-4 पर अंकित खण्ड/कार्यालय का द्वैत कार्यभार शासन स्तर से नियमित पदस्थापना होने तक, नितान्त कामचलाऊ व्यवस्थान्तर्गत सम्पादित किये जाने के आदेश एतद्वारा निर्गत किये जाते हैं-

क्र० सं०	अधिशासी अभियन्ता का नाम / जन्मतिथि/गृह जनपद सर्वश्री:-	वर्तमान तैनाती	द्वैत कार्यभार
1	2	3	4
1.	विकास कुमार 03.03.83 / मुजफ्फरनगर	मध्यगंगा नहर निर्माण खण्ड-14 गढ़मुक्तेश्वर	अपने वर्तमान कार्यभार के साथ अग्र खण्ड आगरा नहर, मथुरा का अतिरिक्त प्रभार
2.	नवीन कुमार सिंह 05.08.72 / गाजियाबाद	स्टाफ अधिकारी (अनुश्रवण) मुख्य अभियन्ता (पूर्वगंगा) मुरादाबाद	अपने वर्तमान कार्यभार के साथ रुहेलखण्ड नहर खण्ड, बरेली का अतिरिक्त प्रभार
3.	अखिलेश कुमार गौतम 18.05.81 / मऊ	हरदोई खण्ड, शारदा नहर, हरदोई	अपने वर्तमान कार्यभार के साथ राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना शारदा नहर खण्ड, हरदोई का अतिरिक्त प्रभार
4.	जितेन्द्र कुमार 08.09.1983 / गाजीपुर	कैन बेतवा लिंक नहर निर्माण खण्ड-2, बांदा	अपने वर्तमान कार्यभार के साथ कैन नहर प्रखण्ड, बांदा का अतिरिक्त प्रभार
5.	संतोष कुमार 20.04.79 / मऊ	कैन बेतवा लिंक नहर निर्माण खण्ड-2, झांसी	अपने वर्तमान कार्यभार के साथ कैन बेतवा लिंक नहर निर्माण खण्ड-1, झांसी का अतिरिक्त प्रभार
6.	सुभाष चन्द्र 28.06.66 / मुजफ्फरनगर	प्रबन्धक (पिम) अनुश्रवण/मूल्यांकन मध्यगंगा नहर निर्माण मण्डल, रुड़की	अपने वर्तमान कार्यभार के साथ गुण नियंत्रण खण्ड रुड़की का अतिरिक्त प्रभार
7.	हेमन्त कुमार वर्मा 01.07.83 / झांसी	कार्यप्रभारित अधिष्ठान प्रकोष्ठ, लखनऊ	अपने वर्तमान कार्यभार के साथ सिंचाई खण्ड, लखनऊ का अतिरिक्त प्रभार

इस निमित्त उपरोक्त अधिशासी अभियन्ताओं को कोई अतिरिक्त वेतन, भत्ते आदि देय नहीं होंगे।
उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

अनिल कुमार
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष


संख्या: सी-57/ई-1/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को शासनादेश संख्या-84/22015/4572/सत्ताईस-1-2015-1/14, दिनांक-22-12-15 एवं शासनादेश संख्या-3636/सत्ताईस-1-2017-01/14, दिनांक-24-11-2017 के अन्तर्गत उक्त किये गये आदेश का औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें।
2. प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन/परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ।
3. सम्बंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०।
4. सम्बंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०।

सोनी उ०आ
27/02/2024

5. सम्बन्धित अधिकारी।
6. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (जांच), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ।
7. अधीक्षण अभियन्ता (कम्प्यूटर कोन्ट्रोल), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ।
8. प्रशासनिक अधिकारी (ई-1)/प्रशासनिक अधिकारी (ई-3), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ।
9. वैयक्तिक सहायक, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ।


 22/02/2024
 (दीपक कुमार)
 मुख्य अभियन्ता (कार्मिक-1/3)

5. सम्बन्धित अधिकारी।
6. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (जांच), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ।
7. अधीक्षण अभियन्ता (कम्प्यूटर कोन्ट्रोल), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ।
8. प्रशासनिक अधिकारी (ई-1)/प्रशासनिक अधिकारी (ई-3), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ।
9. वैयक्तिक सहायक, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ।

(दीपक कुमार)
 मुख्य अभियन्ता (कार्मिक-1/3)